न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 5/2018 (बांसवाड़ा आर्डर)

दिपा पिता जीवा भील, निवासी गांव माण्डलीछोटी, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा

.... अपीलान्ट

बनाम

1. हलिया पिता कुरा भील, नि0 गांव माण्डलीछोटी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा
2. नगा पिता हलिया भील, नि0 गांव माण्डलीछोटी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा
3. लाला पिता हलिया भील, नि0 गांव माण्डलीछोटी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा
4. मडिया पिता हलिया भील, नि. गांव माण्डलीछोटी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा
5. मोगजी पिता हलिया भील, नि. गांव माण्डलीछोटी, तह. सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा
6. पवन पिता नगा भील, नि0 गांव माण्डलीछोटी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा
7. महेन्द्र पिता नगा भील, नि0 गांव माण्डलीछोटी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा
8. मुकेश पिता लाला भील, नि0 गांव माण्डलीछोटी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा
9. सुभाष पिता लाला भील, नि0 गांव माण्डलीछोटी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा
10. प्रवीण पिता मोगजी भील, नि0 गांव माण्डलीछोटी, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, सज्जनगढ़ प्रकरण संख्या 6/2018 दिनांक 28.02.2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री समर पण्डया अभि0 रे.सं. 1 से 5, 8

———:::———

निर्णय दिनांक 17–01–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया, जो वादी के अभिभाषक एवं वादी की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 12–12–2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

वादी का उक्त वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो जाने के कारण वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि दिनांक 12–12–2017 को वादी न्यायालय में आ रहा था, लेकिन रास्ते में बस खराब हो जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested

कारण न्यायालय में देरी से पहुंचा। वादी द्वारा जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन का जवाब प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि वादी का घर कोर्ट से 8 किमी दूर है तथा दिनांक 17.10.2017, 24.10.2017, 07.11.2017, 21.11.2017, 12.12.2017 को वादी एवं उनके अभिभाषक जानबूझकर अनुपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर अपने निर्णय दिनांक 28–02–2018 से वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–04–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 व 8 की ओर से अभिभाषक श्री समर पण्डया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6, 7, 9, 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत करने के बावजूद बिना किसी विधिक कारण के निरस्त कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। वादी/अपीलान्ट मूलवाद संख्या 36/2017 में दिनांक 12–12–2017 को पेशी पर गया था, किन्तु रास्ते में बस खराब होने से देरी से पहुंचा तथा आवाजे लगाते समय न्यायालय में नहीं पहुंच सका, जिससे अधिनस्थ न्यायालय ने वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। वादी/अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कर कोई गलती अथवा लापरवाही नहीं की गयी है। गैर हाजिरी का उचित एवं वास्तविक कारण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–02–2018 निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलान्ट का आदेश 9 नियम 9 सप. धा. 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया जाकर मूलवाद संख्या 36/2017 पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र उसके मूलवाद में लगातार अनुपस्थिति के आधार पर खारिज किया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट/वादी द्वारा अपनी अनुपस्थिति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मूलवाद को पुनः नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. समयावधि में प्रस्तुत कर दिया था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–02–2018 त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–02–2018 अपास्त किया जाता है तथा वादी/अपीलान्ट का मूलवाद संख्या 36/2017 पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested